**2017 का विधेयक सं.5**

**राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राजस्थान राज्य आयोग गठित करने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "पिछड़ा वर्ग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के पिछड़े वर्गों के ऐसे समस्त प्रवर्ग, जो राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के, और राज्य में नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रवर्ग के पक्ष में राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के, आरक्षण के लिए उपबंध बनाते हुए तत्समय प्रवृत्त संबंधित विधि के द्वारा या अधीन घोषित किये जायें, अभिप्रेत हैं;

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूचित जाति" से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट जातियों में से कोई जाति अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट जनजातियों में से कोई जनजाति अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य के अधीन सेवाओं" का वही अर्थ होगा, जो उसे राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) की धारा 2 के खण्ड (छ) में दिया गया है।

## अध्याय 2

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

**3. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और इसे समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के लिए, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से एक निकाय गठित करेगी।

(2) आयोग, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है;

(ख) समाज-शास्त्री;

(ग) ऐसे दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों; और

(घ) सदस्य-सचिव, जो राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का राज्य सरकार का कोई अधिकारी

है या रह चुका है या कोई जिला न्यायाधीश है या रह चुका है:

परन्तु राजस्थान सरकार के आदेश संख्यांक एफ.11(150)आर एण्ड पी/ आर.आर.बी.सी./2007/39035 जयपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कार्यरत थे, इस अधिनियम के अधीन आयोग के गठन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और, यथास्थिति, सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये गये समझे जायेंगे।

**4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.-** (1) कोई सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा।

(2) कोई सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिये बिना आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) उसने राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोकहित के लिए हानिकर हो गया है:

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उप-धारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई कोई रिक्ति नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

**5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.-** (1) राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

**6. वेतन और भत्तों को अनुदानों में से संदत्त किया जाना.-** अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्तों को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक खर्चे, धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किये जायेंगे।

**7. रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-** आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

**8. आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमित किया जाना.-** (1) आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगी जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

## अध्याय 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

**9. आयोग के कृत्य.-** (1) आयोग, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देशों के निबंधनों के अनुसार, नागरिकों के किसी वर्ग को संबंधित पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग में सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों का परीक्षण करेगा और पिछड़े वर्ग के किसी भी प्रवर्ग में अधिक सम्मिलित किये जाने या कम सम्मिलित किये जाने की शिकायतें सुनेगा और उस पर राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिशें सामान्यत: आबद्धकर होंगी किन्तु राज्य सरकार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, सिफारिशों को खारिज कर सकेगी या उन्हें आयोग को, अपनी सिफारिशों के समर्थन में और अध्ययन करने के लिए, वापस निर्दिष्ट कर सकेगी।

**10. आयोग की शक्तियां.-** आयोग को, धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही समस्त शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:-

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाये।

**11. राज्य सरकार द्वारा कालिक पुनरीक्षण.-** (1) राज्य सरकार, ऐसे वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, अपवर्जित करने या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों का कालिक पुनरीक्षण कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

**अध्याय 4**

वित्त, लेखे और संपरीक्षा

**12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.-** (1) राज्य सरकार, विधान-मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझी जायेंगी।

**13. लेखे और संपरीक्षा.-** (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, राजस्थान के परामर्श से विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय, आयोग को उपलब्ध अनुदानों में से संदेय होगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी या निकाय को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार, राजस्थान को हैं और उसे विशिष्टतया, बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किये जाने की मांग करने और आयोग के कार्यालयों में से किसी का भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

**14. वार्षिक रिपोर्ट.-** आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण

देते हुए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

**15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाना.-** राज्य सरकार, धारा 9 के अधीन आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, सहित वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

## अध्याय 5

प्रकीर्ण

**16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.-** आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

**17. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को, तथा धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 13 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा और वह प्राधिकारी या निकाय जो लेखाओं की संपरीक्षा करेगा;

(ग) ऐसा प्ररूप और ऐसा समय जिसमें धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(घ) कोई भी अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**19. निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1992, पूरक (3) एस.सी.सी. 217) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ. 11(150)आर. एण्ड पी./आर.आर.बी.सी./2007/39035 जयपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 6046/1999, रतन लाल बागड़ी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में राज्य सरकार को, एक यथोचित विधायन अधिनियमित करके पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी आयोग नियुक्त करने के लिए निदेशित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश को कार्यान्वित करने के क्रम में और राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए एक विधायन लाये जाने का विनिश्चय किया है जो राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के किसी भी प्रवर्ग को सम्मिलित किये जाने तथा अधिक सम्मिलित किये जाने या कम सम्मिलित किये जाने की शिकायत पर सलाह देने के लिए एक स्थायी कार्यप्रणाली के रूप में कार्य करेगा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 21 अक्टूबर, 2016 को राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अरुण चतुर्वेदी,
**प्रभारी मंत्री।**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि : संख्या प. 2(1) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 15 फरवरी, 2017 प्रेषक : अरुण चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति : सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं ।

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4, 5 और 12, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य की समेकित निधि से व्यय अंतर्वलित करेंगे जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट उपबंध के अनुसार अनावर्ती व्यय के लिए 00.00 लाख रुपये (शून्य लाख रुपये) और आवर्ती व्यय के लिए 133.00 लाख रुपये (एक सौ तैंतीस लाख रुपये) प्राक्कलित है।

अरुण चतुर्वेदी,
**प्रभारी मंत्री।**

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

| **खण्ड** | **के संबंध में** |
|---|---|
| 4(5) | अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, विहित करना; |
| 5(2) | आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, विहित करना; |
| 10(च) | कोई भी अन्य विषय, जिसमें आयोग को किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, विहित करना; |
| 13(1) | वह प्ररूप, जिसमें आयोग उचित लेखे, अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, विहित करना; |
| 13(2) | ऐसा प्राधिकारी या निकाय, जिसके द्वारा आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा की जायेगी, विहित करना; |
| 14 | ऐसा प्ररूप और ऐसा समय, जिसमें आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, विहित करना; और |
| 17 | इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित करना। |

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और साधारणतया ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अरुण चतुर्वेदी,
**प्रभारी मंत्री।**